

89

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
 इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
 Tel: - 0771-2221371 | 2221656 | e-mail : cg_encphedcg@nic.in

// "विज्ञापन" //

क्रमांक / त.शा.-2 / F-116 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2020 अटल नगर, दिनांक
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल, मुम्बई के निर्देशानुसार अप्रेंटिश
 एक्ट 1961 (यथा संशोधित) अंतर्गत नवम बैच हेतु नीचे दर्शित ट्रेड में एक वर्ष की अवधि के व्यवहारिक
 प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित है।

आवेदन की अंतिम तिथि 25.11.2020

क्रं.	ट्रेड का नाम	निर्धारित संख्या विभाग के लिये	शैक्षणिक योग्यता	छात्रवृत्ति प्रतिमाह रूपये में	प्रशिक्षण स्थान	टीप
1.	सिविल इंजीनियरिंग	डिप्लोमा- 04 डिग्री- 04	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा ।	डिप्लोमा-8000.00 डिग्री-9000.00	निकटतम जिला मुख्यालय में स्थित विभागीय कार्यालय	प्रशिक्षुओं का चयन उद्भूत होने वाली रिक्तियां के विरुद्ध किया जावेगा।
2.	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	डिप्लोमा- 01 डिग्री- 01	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा ।	डिप्लोमा-8000.00 डिग्री-9000.00	निकटतम जिला मुख्यालय में स्थित विभागीय कार्यालय	
3.	सी.एस. इंजीनियरिंग	डिप्लोमा- 02 डिग्री- 02	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सी.एस. इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा ।	डिप्लोमा-8000.00 डिग्री-9000.00	निकटतम जिला मुख्यालय में स्थित विभागीय कार्यालय	
4.	आई.टी. इंजीनियर	डिप्लोमा- 01 डिग्री- 01	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी. इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा	डिप्लोमा-8000.00 डिग्री-9000.00	निकटतम जिला मुख्यालय में स्थित विभागीय कार्यालय	
5.	मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट	डिप्लोमा- 03	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा	डिप्लोमा-8000.00	-	
कुल		19				

आवश्यक जानकारियां :-


1. इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक **25.11.2020** तक निर्धारित प्रपत्र में चाही गई जानकारी के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा उपरोक्त कार्यालयीन पते पर अथवा कार्यालय में आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
2. आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक को आवेदन में भारत शासन की वेबसाईट www.mhrdnats.gov.in पर इन्रोल करते हुये इन्रोलमेंट क्रमांक का आवेदन में उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा, बिना इन्रोलमेंट क्रमांक के प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा। चयन होने की स्थिति में शिक्षु मण्डल मुंबई के साथ अनुबंध सृजन (Contract Creation) हेतु इन्रोलमेंट के पासवर्ड उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। पासवर्ड उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप अनुबंध सृजन न होने पर चयन निरस्त किया जा सकेगा।
3. अप्रेंटिश एक्ट 1961 (यथा संशोधित) पर संक्षिप्त विवरण के लिए विभाग की विभागीय वेबसाईट www.cgphed.gov.in का अवलोकन करें। विस्तृत विवरण भारत सरकार की वेबसाईट www.apprentice.engineer.com पर देखी जा सकती है।

— — — निरंतर पेज 02 पर,


4. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण करने के दिनांक से प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तिथि के बीच की अवधि 01 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि है तो निर्धारित प्रपत्र में नोटरी के समक्ष घोषणा पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
5. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने की तिथि से उपस्थिति तक 03 वर्ष से अधिक अंतराल होने की स्थिति में आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।
6. शिक्षु प्रशिक्षण मंडल मुम्बई के पत्र क्रमांक 13294 दिनांक 08.10.2001 अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण उपरांत विभाग नियुक्ति देने हेतु बाध्य नहीं रहेगा तथा इस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. छात्रवृत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ प्रशिक्षुओं को देय नहीं होगा।
8. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश, 15 मेडिकल अवकाश ही प्रदान किये जायेंगे, इनके अतिरिक्त समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
9. प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, त्याग पत्र के मान्य कारण (i) गंभीर बीमारी (ii) उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश (iii) किसी विभाग में नियुक्ति होना निर्धारित है। बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु को प्रदाय की गयी समस्त छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।
10. सफलता पूर्वक लगातार 01 वर्ष तक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर अप्रेंटिसशिप के क्षेत्रीय निर्देशक मुम्बई द्वारा स्थाई प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा एवं अस्थायी प्रमाण पत्र संबंधित प्रशिक्षण कार्यालय से लिया जा सकेगा।
11. ऐसे आवेदक जो पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट 1961 का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे इस प्रशिक्षण में पुनः शामिल नहीं किये जावेंगे।
12. पर्याप्त संख्या में डिग्री या डिप्लोमा के आवेदक नहीं मिलने पर संख्या परस्पर समायोजित की जायेगी।
13. प्रत्येक ट्रेड हेतु अंतिम सेमेस्टर की प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची (सामान्य, अ.जा., अ.ज. जा.) अलग-अलग बनाई जायेगी। जिनके आधार पर चयन किया जावेगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के फलस्वरूप एवं अन्य कारणों से रिक्त होने वाली सीटों के फलस्वरूप उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जावेगी।
14. आवेदन के लिये आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा आदेशित


 अधीक्षण अभियंता एवं
 नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)
 कार्यालय प्रमुख अभियंता
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अप्रेंटिस ,एक्ट 1961 (संशोधित 1973 एवं 1986) अंतर्गत
प्रशिक्षण वर्ष 2020-21 हेतु आवेदन का प्रारूप



प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

1. आवेदित ट्रेड का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
3. आवेदक का पूरा नाम :
(अंग्रेजी ब्लाक लेटर में)
4. पिता/पति का नाम :
5. भारत शासन की वेबसाईट www.mhrdnats.gov.in में
इन्रोलमेंट उपरान्त इन्रोलमेंट क्रमांक
6. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :

7. दूरभाष/मोंबाईल नं/ई-मेल :
7. स्थायी पता :

8. गृह जिला :
9. राष्ट्रीयता :
10. जन्मतिथि (अ) अंको में :
- (ब) शब्दों में :
11. आयु (01.01.2019 की स्थिति में) :
12. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी
निवासी है ? (प्रमाण पत्र संलग्न करें):
13. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है
तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें:

14. शैक्षणिक अर्हता (ऐसे आवेदक जिनकी डिग्री/डिप्लोमा को पूर्ण किये तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं आवेदन न करें):-
उत्तीर्ण करने का वर्ष-..... डिग्री/डिप्लोमा..... ब्रांच.....
विश्वविद्यालय/बोर्ड..... अंतिम सेमेस्टर का प्रतिशत.....
संलग्न करें :-
 1. अंतिम सेमेस्टर की स्वप्रमाणित अंकसूची। (विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड द्वारा जारी होना चाहिए इंटरनेट प्रति मान्य नहीं होगी)
 2. विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
 3. आयु प्रमाण हेतु 10वीं/12वीं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
 4. कोई भी आवेदन शुल्क संलग्न नहीं करें।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर